उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–6
संख्या–८५५/अड़तीस–6–13–25एसजीएसवाई/12टीसी
लखनऊः दिनांक :२६जुलाई, 2013

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–888/38–6–12–32एसजीएसवाई/2010, दिनांक–20.09.2012 द्वारा अस्थाई रूप से सृजित थीमैटिक एक्सपर्ट्स के पदों पर चयन हेतु कार्यालय ज्ञाप सं0–50/38–6–13–25एसजीएसवाई/12टीसी, दिनांक–21 जनवरी, 2013 द्वारा गठित 'उच्च स्तरीय चयन समिति' को पुनर्गठित करते हुए निम्नानुसार **'उच्च स्तरीय चयन समिति'** का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा	–	अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा	–	सदस्य
(3) प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित प्रतिनिधि (जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो)	–	सदस्य
(4) प्रमुख सचिव, कार्मिक द्वारा नामित प्रतिनिधि (जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो)	–	सदस्य
(5) निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ	–	सदस्य
(6) मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, उ0प्र0, लखनऊ	–	सदस्य–सचिव

2– उपरोक्त चयन समिति द्वारा थीमैटिक एक्सपर्ट्स का चयन एन.आर.एल.एम. की गाइड–लाइन तथा इस संबंध में समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा– निर्देशों के अनुसार किया जाएगा तथा नियमों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण/विचलन नहीं किया जाएगा।

अरुण सिंघल
प्रमुख सचिव।

संख्या–८५५(1)/अड़तीस–6–13 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2– मुख्य सचिव, उ0प्र0।
3– सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
5– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
6– समिति के समस्त पदाधिकारीगण।
7– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
8– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0/मिशन निदेशक यूपीएसआरएलएम, जवाहर भवन, लखनऊ।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।